संख्या– 16 /43–नि0अनु0–02/पीएमजीवाई(चि0)/03

प्रेषक,

आलोक कुमार,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
उत्तरांचल, देहरादून।

नियोजन अनुभाग।

देहरादूनः दिनांकः 22 जनवरी, 2004

विषय– **प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य हेतु वित्तीय वर्ष 2003–04 के लिए केन्द्रीय सहायता के सापेक्ष पुर्नवैधीकरण से वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक योजना आयोग, भारत सरकार के पत्र सं0–पी–12019/47/2000–आरडी दिनांक 23 अक्टूबर, 2003 एवं आपके पत्र सं0–6प/नियो0/16/2002/183–4 दिनांक 15 नवम्बर, 2003 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पी0एम0जी0वाई0 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा पुर्नवैधीकरण से स्वीकृत अवशेष धनराशि रूपये 652.60 लाख (रूपये छः करोड़ बावन लाख साठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2003–04 में प्राथमिक स्वास्थ्य की संलग्न योजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इतनी ही धनराशि को व्यय हेतु आपके निर्वतन में रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	योजना का नाम	धनराशि
1	औषधि/रसायन	300.00
2	उप केन्द्रो का निर्माण हेतु	220.00
3	उप केन्द्रो/प्रा0 स्वा0 केन्द्रो/सामु0 स्वास्थ्य केन्द्रो के सुदृढीकरण म बिजली, पानी, शौचालयो की व्यवस्था हेतु	132.60
	योग–(रू0 छः करोड़, बावन लाख, साठ हजार मात्र)	652.60

2– विद्युतीकरण से संबंधित कार्यो के आंगणन केन्द्रीयकृत रूप से तैयार करके उसके विरूद्ध धनराशि उत्तरांचल पावर कार्पोरेशन को सीधे हस्तांतरित की जायेगी।

3– स्वीकृति की जा रही धनराशि का आहरण यथा आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा। निर्माण कार्य से संबंधित योजनाओं के आंगणन लोक निर्माण विभाग की दरों पर सक्षम तकनीकी निर्माण एजेन्सी में बनवाकर उस पर सक्षम स्तर के तकनीकी अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त कर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

4– उक्त धनराशि का व्यय केन्द्र से प्राप्त सहायता के आधार पर स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत अनुमोदित स्वीकृत परिव्यय की सीमा तक किया जायेगा।

5– उक्त स्वीकृत धनराशि की जनपद वार कॉट भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार आपके स्तर से की जायेगी तथा इसका आवंटन वर्तमान नियमों/आदेशों तथा धनराशि का उपयोग समय–2 पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों/गाइड लाइन्स के अनुसार किया जायेगा।

6– उक्त स्वीकृत योजना को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जायेगा तथा किसी अन्य योजना पर धनराशि का व्यय कदापि नहीं किया जायेगा एवं योजनाओं पर व्यय करने से पूर्व जहाँ कहीं आवश्यक हो सक्षम स्तर के अधिकारी का पूर्वानुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।

7– स्वीकृत कार्यो पर होने वाला व्यय करते समय वित्तीय हस्त पुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर परचेज रूल्स, टेण्डर/कोटेशन के नियमों एवं मितव्ययता के संबंध में समय–2 पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा जो उपकरण/सामग्री इत्यादि डी0जी0एस0 एण्ड डी0 पर है उन्हें इन्ही दरों पर क्रय किया जायेगा।

8– उक्त प्रस्तर–2 से 4 में उल्लिखित शर्तों के अनुपालन में विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक एवं मुख्य वरिष्ठ/सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करते हुए सुव्यवस्थित लेखा रखेंगे। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि वे सूचना सम्पूर्ण विवरण सहित वित्त/नियोजन विभाग को दी जायेगी।

9– स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र योजनाओं को पूर्ण करने के एक माह के अन्तर्गत शासन एवं महालेखाकार को निर्धारित प्रपत्र पर एवं प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह के अन्त तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

10– कार्य की समयबद्धता व गुणवत्ता के लिए संबंधित अधिकारी अभियन्ता/निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। कार्य की समयबद्धता हेतु संबंधित स्वीकृतकर्ता अधिकारी निर्माण एजेन्सी से अनुबन्धकर पेनाल्टी क्लाज लगाने पर विचार कर सकते हैं। प्रत्येक स्थिति में दिनांक 31–03–2004 तक उक्त पुनर्विध की गयी धनराशि का उपयोग सुनिश्चित कर लिया जायेगा।

11– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2003–04 के अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–3451–सचिवालय आर्थिक सेवायें–092–अन्य कार्यालय –आयोजनागत–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–0101–प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (100 प्रतिशत केन्द्रांश)–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

12– यह स्वीकृति वित्त विभाग अशासकीय संख्या– 2490/वि0अनु0–3/2003 दिनांक 20, जनवरी, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
अपर सचिव।

संख्याः– 16 (1)/43–नि0अनु0–02/पीएमजीवाई(वि0)/03 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2– उप निदेशक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, आय–व्ययक अनुभाग, नई दिल्ली।
3– निदेशक, (आर0डी0) योजना आयोग, योजना भवन, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 23 अक्टूबर, 2003 के संन्दर्भ में।
4– सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तरांचल शासन।
5– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6– जिलाधिकारी, देहरादून ।
7– आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ, पौड़ी/नैनीताल।
5– निजी सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तरांचल को मा0 मुख्यमंत्री के संज्ञानार्थ।
6– श्री एल0एम0 पंत, अपर सचिव, वित्त, बजट प्रकोष्ठ, उत्तरांचल शासन।
9– वित्त अनुभाग–3/चिकित्सा अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन।
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
अनु सचिव।